न्यायालयः—मुकेश कुमार यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर म.प्र.

फाईलिंग कमांक बी.ए./11103/2023
जमानत आवेदन कं.—160/2023
सीएनआरएमपी—150—7001451—2023

अखिलेश सेन पिता तुलसीराम सेन,
उम्र—22 वर्ष, व्यवसाय—प्राइवेट नौकरी
निवासी—ग्राम पातीखेड़ा थाना व तहसील मालथौन
जिला सागर (म0प्र0)

.....**आवेदक/आरोपीगण**

वि रू द्ध

म.प्र. राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र मालथौन जिला सागर।

.....**अभियोगी/अभियोजन**

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 07.08.2023

07-08-2023

आवेदक की ओर से श्री हरिमोहन सिंह अधिवक्ता उपस्थित।
राज्य द्वारा श्री बलवीरसिंह अपर लोक अभियोजक उपस्थित।
प्रकरण आज धारा 438 द.प्र.सं. के आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है।
थाना मालथौन में दर्ज अपराध कमांक धारा 354, 506 भा.दं.वि की प्रतिवेदन सहित केस डायरी बंद लिफाफे में प्राप्त।
आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 438 द.प्र.स. के आवेदन पर सुना गया।
आवेदक अखलेश सेन ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि यह उसका प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। उसके अलावा अन्य कोई आवेदन किसी सत्र न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में ना तो लंबित है और ना ही निराकृत हुआ है। आवेदक के विरूद्ध फरियादी द्वारा असत्य रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिस पर संभवतः पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसमें आवेदक को गिरफ्तार किये जाने की संभावना है। वास्तव में प्रकरण की फरियादिया व आवेदक/ अभियुक्त का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है परंतु वर्तमान में फरियादिया व उसके परिवार को अधिक संपन्न परिवार व विवाह के लिये लड़का मिल जाने से फरयादिया व उसका परिवार आवेदक/अभियुक्त से पल्ला झाड़ना चाहते है। फरयादिया अभियुक्त से लंबे समय से खर्च पैसा ले रही है उसका इस्तेमाल कर रही है। अधिक संपन्न धनवान रिश्ता मिल जाने पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है।

आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का जिम्मेदार नागरिक है। उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक की चल व अचल संपत्ति पातीखेड़ा में स्थित है। जमानत उपरांत उसके भागने या फरार होने की संभवना नहीं है। आवेदक जमानत के उपरांत पुलिस विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा, तथा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का तत्परता से पालन करेगा। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर **अग्रिम जमानत** लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

थाना प्रभारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि दिनांक 24.05.2023 को फरियादिया कु. अभिलाषा सेन द्वारा एक लिखित आवेदन अनावेदक अखिलेश सेन के द्वारा बुरी नीयत से हाथ पकड़ने के संबंध में पेश किया था जिस पर से अपराध क्रं.–179/23 धारा 354,506 भादंवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता के पुलिस कथन एवं न्यायालय में दर्ज धारा 164 सीआरपीसी के कथनों में विरोधाभास होने से पीड़िता को पूरक कथनों हेतु तलब किया गया किन्तु वह उपस्थित नहीं हुई एवं आरोपी की तलाश जारी है। यदि आरोपी को जमानत पर छोडा गया तो वह फरियादी व साक्षीगण को प्रभावित करेगा, अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपर लोक अभियोजक ने महिला के विरूद्ध अपराध होने से गंभीर अपराध के कारण जमानत निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादिया कु. –अभिलाषा पिता अशीष सेन, उम्र–23 साल निवासी–ग्राम बेसरा ने थाना आकर अखलेश सेन निवासी–ग्राम पातीखेडा द्वारा बुरी नीयत से हाथ पकड़ने और अपनी ओर खीचने पर इसके भाई अंशुल सेन के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के संबंध में एक हस्तलिखित आवेदन पेश किया जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया जाकर पीडिता के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये नक्शा मौका तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में थाना प्रभारी के प्रतिवेदन में उनकी पुष्टि फरियादिया से ना होने और पूरक कथन के लिये फरियादिया के लिये उपस्थित न होने का उल्लेख किया है। केस डायरी सहित पीड़िता के पुलिस कथन एवं धारा 164 द.प्र.सं. के कथनो और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह तथ्य प्रकट होता है कि, शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त के मध्य प्रेम प्रसंग का विवाद है और आवेदक को जमानत प्रदान न किये जाने से निश्चित रूप से उसकी मानप्रतिष्ठा एवं पारिवारिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पडेगा, आरोपित अपराध सात वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय अपराध होकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **<u>अर्नेश कुमार विरूद्ध विहार राज्य 2014 (8) एससीसी 273</u>** सहित अन्य माननीय न्यायदृष्टांतों में जमानत के संबंध में दिये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी किए आवेदक को अग्रिम जमानत का

लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त अखिलेश सेन की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत **धारा 438 दं0प्र0सं0** निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः—

01. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को डर, धमकी, दबाव या लोभ लालच आदि किसी भी भांति से प्रभावित नहीं करेगा।

02. आवेदक/अभियुक्त पीड़िता और उसके परिवारजनों से कोई संपर्क नहीं करेगा।

03. आवेदक/अभियुक्त किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा तथा समान प्रकृति का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

04. आवेदक/अभियुक्त आदेश दिनांक से सात दिवस के भीतर संबंधित थाना प्रभारी अथवा विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

05. आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा और प्रत्येक तारीख पेशियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिसः उपस्थित होता रहेगा।

आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की दशा में उसकी ओर से विवेचना अधिकारी अथवा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के समक्ष उनकी संतुष्टि योग्य उपर्युक्त शर्तों सहित प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त की ओर से **50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये)** की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का वैयक्तिक बंधपत्र प्रस्तुत किया जावे तो उन्हें थाना मालथौन में दर्ज अपराध क्रमांक 179/2023 धारा 354, 506 भा.दं.वि में अग्रिम जमानत पर छोड़ा जावे।

आदेश की एक प्रति सहित केस डायरी थाना मालथौन को वापस हो।

जमानत आवेदन का परिणाम पंजी में दर्ज कर यह जमानत आवेदन अभिलेखागार में जमा हो।

सही/—

(मुकेश कुमार यादव)

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश

जिला—सागर (म0प्र0)

प्रतिलिपि— आरक्षी केन्द्र मालथौन को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सही/—

(मुकेष कुमार यादव)

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश

खुरई, जिला—सागर, (म.प्र.)